"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 341] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 नवम्बर 2009—कार्तिक 22, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2009

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ. 1-14/18/2008.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार नगर पंचायत, टुण्डरा जिला-रायपुर के वार्डों का विस्तार का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 29 जुलाई 2009 में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

(अ) अनुसूची

1. अनुसूची के क्रमांक 10 में वर्णित महामाया वार्ड के स्थान पर महादेव वार्ड तथा
2. अनुसूची के क्रमांक 11 में महादेव वार्ड के स्थान पर महामाया वार्ड पढ़ा जाये.

(ब) वार्ड की चतुर्सीमा का विवरण

1. वार्ड क्रमांक 10 महामाया वार्ड के सम्मुख अंकित चतुर्सीमा (उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम) को महादेव वार्ड की चतुर्सीमा पढ़ा जाये.
2. वार्ड क्रमांक 11 महादेव वार्ड के सम्मुख अंकित चतुर्सीमा (उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम) को महामाया वार्ड की चतुर्सीमा पढ़ा जाये.

Raipur, the 13th November 2009

AMENDED NOTIFICATION

No. F. 1-14/18/2008.—In exercise of powers conferred by Sub-section (1) of Section 29 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 the State Government, hereby amended a Notification which is published in Chhattisgarh Rajpatra (Asadharan) dated 29 July 2009 regarding as per following schedule of Nagar Panchayat, Tundra, District Raipur.

SCHEDULE- A

1. In Serial No. 10 of the schedule will be read Mahadev Ward instead of Mahamaya Ward.

2. In the Serial No. 11 of the schedule will be read Mahamaya Ward instead of Mahadev Ward.

SCHEDULE-B
The Particulars of Ward Boundaries

1. The particulars of boundry which is shown infront of Ward No. 10 Mahamaya Ward (North, East, South, West) Will be read as boundry of Mahadev Ward.

2. The particulars of boundry which is shown infront of Ward No. 11 Mahadev Ward (North, East, South, West) Will be read as boundry of Mahamaya Ward.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव मे मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.